<u>प्राथमिकता/समयबद्ध</u>

<u>संख्या-215/2015/2005/नौ-8-2015-21पी/2014</u>

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक: 17 अगस्त, 2015

विषय:- नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा पी.पी.पी. माडल पर आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण कराये जाने हेतु परियोजना के R.F.P. से सम्बन्धित बिन्दुओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29/स्वा0वि0/न0नि0मु0/2015 दिनांक 10.04.2015 का क़पया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, मुरादाबाद में आधुनिक पशुवधशाला के निर्माण हेतु नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये R.F.P. Document (Request for Praposal) पर निम्न शर्तो की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(क) प्राईवेट पार्टनर का चुनाव खुली निविदा के आधार किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित शर्ते होंगी :-

1. निविदाता को परियोजना की स्थापना हेतु नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा कुल 5.4990 हे0 भूमि 20 वर्षो के लिए पट्टे पर दी जायेगी, जिसका वार्षिक किराया रू0 140.00 लाख होगा तथा इसमें प्रत्येक 03 वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

2. परियोजना के संचालन हेतु 02 वर्षो की अवधि, जिसमें परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्य होंगे, की अवधि में निविदादाता से किराये का 50-50 प्रतिशत किराया वसूल किया जायेगा।

3. सफल निविदादाता द्वारा परियोजना की 20 वर्ष अवधि समाप्त होने के उपरान्त परियोजना से सम्बन्धित चल एवं अचल सम्पत्ति नगर निगम, मुरादाबाद को हस्तान्तरित करनी होगी।

4. परियोजना के संचालन हेतु एक मुश्त शुल्क के रूप में न्यूनतम रूपये 5.00 करोड़ की धनराशि निर्धारित की जायेगी, जिससे ऊपर की धनराशि निविदादाता द्वारा डाली जायेगी एवं निविदा में अन्य औपचारिकताओं एवं तकनीकी तथा वित्तीय मापदण्डों को पूर्ण करने वाले अधिकतम शुल्क की निविदा ही सफल निविदादाता के चयन का मापदण्ड होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. परियोजना के संचालन के समय नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा निविदादाता से नियमानुसार एन्टीमार्टम/ पोस्टमार्टम शुल्क तथा नियमानुसार देय अन्य शुल्कों की वसूली की जायेगी।

6. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त कन्सलटेन्ट को कन्सलटेशन फीस के रूप में भुगतान की गयी धनराशि रूपये 18.50 लाख + सर्विस टैक्स को परियोजना के संचालन हेतु सफल/चयनित निविदादाता द्वारा नगर निगम, मुरादाबाद को भुगतान करना होगा।

7. परियोजना के संचालन हेतु चयनित/सफल निविदादाता द्वारा यदि आफर के बाद परियोजना के संचालन किये जाने से मना करता है, तो उसके द्वारा निविदा डालने के समय जमा की गयी धनराशि/बैंक गारण्टी नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा प्रक्रिया में दूसरे स्थान पर रहने वाले द्वितीय निविदादाता को सफल निविदादाता घोषित कर दिया जायेगा।

(ख) निविदाकर्ता के चयन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड :-

1. निविदाकर्ता का विगत 03 वर्षो मे रूपये 68.48 करोड़ का संचयी कारोबार होना चाहिए।
2. निविदाकर्ता का विभिन्न व्यवसायों में कम से कम Net worth 8.55 करोड़ रूपये होनी चाहिये।

(ग) नगर निगम, मुरादाबाद अथवा शासन द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु किसी प्रकार का वित्त पोषण नहीं किया जायेगा और न ही निविदादाता को कोई विशेष Concession ही दिया जायेगा। निविदादाता को परियोजना की स्थापना हेतु मात्र भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका निविदादाता से रूपये 140.00 लाख वार्षिक किराया उससे लिया जायेगा एवं इसमें प्रति 03 वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

3- अतः कृपया उपर्युक्तानुसार नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा पी.पी.पी. माडल पर आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण कराये जाने हेतु R.F.P. Cum R.F.P. Document में उल्लिखित शर्तो के अनुरूप निविदा आमंत्रित कर निविदा खोले जाने हेतु बिड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या-215/2015/2005(1)/नौ-8-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

2- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://sfcsanidesh.up.nic.in